न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 40 / 2021

राजेश कुमार भारती मार्फत राष्ट्रीय अध्यक्ष, पीपुल्स आल इण्डिया एन्टी करप्शन एण्ड काईम प्रिवेन्शन सोसायटी मकान न0 887 बी, बांकनेर लामपुर रोड नरेला दिल्ली 110040।

बनाम

तहसीलदार, नगर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 24.05.2021**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट राजेश कुमार भारती मार्फत राष्ट्रीय अध्यक्ष, पीपुल्स आल इण्डिया एन्टी करप्शन एण्ड काईम प्रिवेन्शन सोसायटी मकान न0 887 बी, बांकनेर लामपुर रोड नरेला दिल्ली 110040 ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.2021 तहसीलदार नगर से सूचना चाही गई थी। तहसीलदार नगर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 347 दिनांक 29.04.2021 के द्वारा तहसीलदार नगर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में तहसीलदार नगर से उनके पत्र कमांक / 101 दिनांक 10.05.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं तहसीलदार नगर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने तहसीलदार नगर से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। तहसीलदार नगर से प्राप्त जबाब पत्र कमांक 101 दिनांक 10.05.2021 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनाऐं उपलब्ध करा दी गई हैं। तहसीलदार नगर ने अपने जबाब की ताईद में पत्र कमांक 74 दिनाक 15.04.2021 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (तहसीलदार नगर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार नगर को भी भेजी जावे।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर